

उत्तराखण्ड शासन
समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग—३
संख्या:- १५१ / XVII-3/13-06(बजट)/2012
देहरादून: दिनांक २८ फरवरी, 2013
कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के गरीब, अल्पसंख्यक, छात्र/छात्राओं को उच्चशिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के संबंध में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन की स्थापना योजना की नियमावली –

1. योजना शीर्षक – इस योजना का नाम "मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना" होगा।

2. योजना का उद्देश्य तथा प्रयोजन – अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा तथा विदेश शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।

3. पात्रता मानदंड – संदर्भगत योजना के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए पात्रता मानदंड निम्नवत होंगे—

(1) इस योजना में गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के वे ही छात्र, छात्राएं, सम्मिलित होंगे, जो किसी केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बार्ड द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों।

(2) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आयु सीमा 18–35 के मध्य होनी चाहिए।

(3) आवेदनकर्ता के परिवार की सभी श्रोतों से कुल आय विगत वित्तीय वर्ष में ₹ 0 100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में आवेदनकर्ता अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

(4) आवेदक जिस स्कूल, कॉलेज/संस्थान में अध्ययनरत हो, उसमें दाखिला होने का प्रमाण—पत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा की गयी जांच संस्तुति भी आवेदन—पत्र के साथ भेजी जायेगी।

(5) संदर्भगत ऋण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगा कि वह जिस विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में अध्ययन कर रहा हो, वह केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

Mr. Lekhawaliya

18/03/13

19/03/13

(6) योजना के अंतर्गत व्याज मुक्त ऋण यदि पाठ्यक्रम/डिग्री एक वर्ष का हो या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का हो, तब ऐसे पाठ्यक्रम/अध्ययन पर होने वाले संभावित व्यय के सापेक्ष एक मुश्त व्याज मुक्त ऋण किया जायेगा, परन्तु यदि पाठ्यक्रम/डिग्री/अध्ययन में शुल्क इत्यादि पूर्व में ही जमा करने की अपरिहार्यता न हो, तब ऐसी व्याज मुक्त ऋण की धनराशि दो किस्तों में स्वीकृत की जायेगी, प्रथम पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में तथा द्वितीय पाठ्यक्रम की मध्यावधि में।

(7) संदर्भगत योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति की अधिकतम सीमा ₹० 5000000.00 (रु० पाँच लाख) होगी। पाठ्यक्रमानुसार इस योजना हेतु उपलब्ध उस वित्तीय वर्ष की बजट उपलब्धता न होने पर अवशेष दावे स्वतः निरस्त समझे जायेगे। बजट की सीमा के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति योग्यतांक आधारित होगी। बजट उपलब्धता न होने पर अवशेष दावे स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह के उपरांत अगले 3 वर्षों में ऋण की वापसी करनी होगी।

(9) इस ऋण योजना का लाभ एक लाभार्थी को एक ही बार प्राप्त होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य श्रोत से ऋण प्राप्त किया हो, तो वह इस योजना का लाभ नहीं पा सकेगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी शपथ-पत्र में इस बिन्दु को भी स्पष्ट करेगा।

(10) इस योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि संबंधित वर्ष की 31 अगस्त होगी।

(11) आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न की जायेंगी।

(12) योजना के संबंध में आवेदन-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र/प्रारूप मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन के कार्यालय से अथवा फाउंडेशन की वेब साइट से भी डाउनलोड किये जा सकेंगे।

योजना के उद्देश्य तथा प्रयोजनों से संबंधित बिंदु 3 के लिए ऋण स्वीकृत करने हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन तथा ऋण स्वीकृत करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

- 4. फाउंडेशन की संरचना / कार्यप्रणाली / अधिकारिता**
- (1) मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन की संरचना निम्नवत होगी—
 - (a) अध्यक्ष— प्रमुख सचिव / सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - (b) उपाध्यक्ष— निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून (पदेन)।
 - (c) सदस्य— शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित / ख्याति प्राप्त अल्पसंख्यक मूल का व्यक्ति (शासन द्वारा नामित) जो कि सक्षम न्यायालय से दण्डित न हो।
 - (d) सदस्य— वित्त अधिकारी, अल्पसंख्यक कठो निदेशार।
 - (e) सदस्य— उप सचिव, अल्पसंख्यक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - (f) सदस्य— महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा नामित कोई प्रथम श्रेणी के विभागीय अधिकारी।
 - (g) सदस्य सचिव— महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निगम।
 - (h) उपर्युक्त समिति में अल्पसंख्यक मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति का नामांकन सरकार के द्वारा किया जायेगा जिनका कार्यकाल दो वर्ष हो गया।
 - (i) संचालन समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से आयोजित की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति हेतु न्यूनतम संख्या दो तिहाई निर्धारित होगी।
 - (j) फाउंडेशन के पंक्ष में शासन द्वारा जो भी ऋण इत्यादि स्थीकृत किया जायेगा, उसे नियमानुसार किसी राष्ट्रीकृत बैंक खाते में जमा किया जायेगा। संचालन समिति यदि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करती है, तब निहित उद्देश्य के लिए वह दान/चंदा भी सीधे प्राप्त कर सकेगी।
 - (k) कोष का नियमानुसार संचालन, ऑफिट करना एवं अभिलेखों का समुचित रख-रखाव करवाना संचालन समिति के अध्यक्ष का दायित्व होगा। इस दायित्व के निर्वहन हेतु अध्यक्ष की सहायता करना संचालन समिति के सदस्य सचिव का भी उत्तरदायित्व होगा।
 - (l) संचालन समिति में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। जिन पर वित्त एवं शिक्षा विभाग की ओर से नामित प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक होगी। यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में संचालन

समिति के सदस्यगणों के मत बराबर हो जाते हैं, तब अध्यक्ष को निर्णयिक मत देने का अधिकार होगा।

(m) फाउंडेशन तथा संचालन समिति का प्रधान कार्यालय अल्पसंख्यक वकफ एवं विकास निगम लि०, देहरादून में होगा।

5. विविध-

(1) संदर्भिगत फाउंडेशन एवं उसकी संचालन समिति का कार्यक्षेत्र हालांकि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा, परन्तु किसी विषयाद की स्थिति में उसका न्याय क्षेत्र जनपद, देहरादून नगर होगा। संचालन समिति की ओर से विधिक कार्यवाही/पैरवी, सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार की जायेगी।

(2) संचालन समिति के द्वारा अपने कार्यों की त्रैमासिक आख्या नियमित रूप से शासन को भेजी जायेगी। शासन के द्वारा भी विशेष परिस्थिति होने पर या सामान्य रूप से वार्षिक आधार पर संचालन समिति कार्यकलापों/अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(3) प्रश्नगत योजना के संबंध में पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों से इतर यदि कोई बिंदु सामने आता है, तब संचालन समिति इस संबंध में शासन के पूर्व निर्देश प्राप्त करते हुए कार्यवाही करेगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

M.M.A.U

(एम०एच० खान)
सचिव।

पुष्टांकन संख्या:-141/XVII-3/12-07(11)2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, गाठ मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निकेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उपरजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।

11. समस्त जिला समाज कल्याण/अत्यसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03 उत्तराखण्ड शासन।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनोआईसी०) सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(वीरन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव